हर डॉग बाइट व मौत पर जुर्माना ठोकेंगे

सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी

नई दिल्ली, 13 जनवरी. आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि कुत्ते के काटने की हर घटना और इससे होने वाली हर एक मौत के मामले में संबंधित राज्य पर भारी-भरकम मुआवजा लगाया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में कुत्तों के हमले से किसी व्यक्ति पर 'जीवनभर का असर' पड़ता है, ऐसे मामलों में डॉग फीडर्स (आवारा कुत्तों को भोजन देने वाले) की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, हर डॉग बाइट और हर मौत के लिए हम राज्यों पर भारी मुआवजा तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने जरूरी इंतजाम नहीं किए. साथ ही डॉग फीडर्स की भी जिम्मेदारी होगी. अगर आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो उन्हें अपने घर रखें. उन्हें खुले में घूमकर लोगों को काटने और उन पर हमला करने की इजाजत क्यों दी जाए? कुत्ते के काटने का असर जीवनभर रहता है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को लागू करने में पूरी तरह नाकामी दिखाई है. पीठ ने कहा कि यह समस्या दशकों से चली आ रही है और केंद्र व राज्यों की विफलता के कारण यह कई गुना बढ़ चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि हर उस पुरुष, महिला और बच्चे की मौत के लिए, जिसकी जान कुत्ते के काटने से गई है, जिम्मेदार सरकार पर भारी मुआवजा लगाया जाएगा.

> तीन जजों की विशेष पीठ- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया ने कहा कि आवारा कुत्तों के बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के कई वीडियो मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और डॉग फीडर्स से तीखा सवाल किया, क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं? जस्टिस संदीप मेहता ने महिला वकील की दलील पर कहा- क्या सच में ऐसा कह रही हैं? एक वकील ने अभी-अभी हमें सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों के आंकड़े दिखाए.

अमेरिका ने एक साल में लाखों वीजा किए रद्द

वॉशिंगटन, 13 जनवरी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग एक साल पहले पदभार संभालने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है. विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि रद्द किए गए वीज़ा में लगभग 8,000 छात्रों के वीजा और 2,500 स्पेशल वीजा उन लोगों के शामिल हैं जिनका आपराधिक गतिविधि लिप्त होने पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था. विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन गुंडों को निर्वासित करते रहेंगे. ज़्यादातर वीजा उन व्यापार व पर्यटक यात्रियों के रद्द किए.

ईरान के हिंसक प्रदर्शन में 2000 मौतें

तेहरान, ईरान, 13 जनवरी. ईरान में पिछले दो हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं. अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार अब तक 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं. ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों करीब 30 प्रांतों में फैल गई है. यह पहली बार है जब ईरानी अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में मृतकों की पुष्टि सार्वजनिक रूप से की है. हाल के दिनों में इंटरनेट और संचार पर पाबंदी के कारण लोगों तक सटीक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है.अशांति का कारण मुख्य रूप से खराब आर्थिक हालात और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव को बताया जा रहा है.

> मानवाधिकार संगठनों ने भी सैकड़ों मौतों और हजारों गिरफ्तारियों की पुष्टि की है. इंटरनेट और संचार पर प्रतिबंध के कारण स्थिति की जानकारी सामने लाना मुश्किल हो गया है. हिंसक झड़पों के वीडियो में गोलीबारी, जलती हुई इमारतें और वाहनों की आग दिखाई दे रही है, जिन्हें रॉयटर्स ने सत्यापित किया है. प्रदर्शन अब देशव्यापी संकट का रूप ले चुके हैं. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में अब तक करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है.

लोहड़ी पर केजरीवाल ने की खुशहाली व भाईचारे की कामना

नई दिल्ली, 13 जनवरी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लोहड़ी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए इस पर्व को खुशहाली और भाईचारे का प्रतीक बताया. अपने संदेश में केजरीवाल ने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए. लोहड़ी विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है, जो नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है. इस अवसर पर लोग अग्नि प्रज्वलित कर खुशियां मनाते हैं. राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते हुए भी अरविन्द केजरीवाल सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर देशवासियों से संवाद करते रहे हैं. उनका यह संदेश न केवल पर्व की शुभकामनाओं तक सीमित रहा, बल्कि समाज में सौहार्द और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है.

प्रगति पोर्टल में 97% मामलों का समाधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी

लखनऊ, 13 जनवरी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल को उत्तर प्रदेश में सुशासन का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म परियोजनाओं, योजनाओं और जन-शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है. उन्होंने कहा कि 'प्रगति' सहकारी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण है. लखनऊ में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के बाद देश और प्रदेश में दूरदर्शी नीतियों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.

बिहार कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को दी मंजूरी

पटना, 13 जनवरी. बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार और झारखंड के बीच लंबे समय से लंबित सोन नदी जल-बंटवारा विवाद के निपटारे सहित कुल 41 प्रस्तावों को हरी झंडी दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट) अरविंद चौधरी ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि करीब 53 वर्षों बाद बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल-बंटवारा विवाद के निपटारे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. श्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 1973 में हुए बाणसागर समझौते के तहत तत्कालीन अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) पानी का अधिकार था. वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद से ही झारखंड दोनों राज्यों के बीच जल हिस्सेदारी की मांग करता रहा. इस विवाद का समाधान नहीं होने के कारण बिहार में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को वर्षों तक मंजूरी नहीं मिल सकी. जल-बंटवारे के अंतिम सूत्र के तय होने के बाद अब दोनों राज्यों ने सहमति जताई है.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)

ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 103/सिविल/25-26/ग्रुप न-01 से ग्रुप न-14 तक | **निविदा आमंत्रण** | दिनांक: 08.01.2026

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR/NON SOR, DATE 08-11-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_474202_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अन्तर्गत केशव नगर में बड़ी माता जी मंदिर के सामने वाली रोड का सीमेन्ट कांक्रीट करना। (चतुर्थ आमंत्रण)	120 दिवस ₹12,00,211/-	₹2,000/- ₹9,100/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
02	2026_UAD_474203_1	झोन क्र.16 वार्ड क्र. 01 के अन्तर्गत पालीवाल दुग्ध डेरी से डॉ. बिन्दुकुमार जैन जी (सिरपुर मेन रोड) तक रोड का सिमेन्टीकरण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹73,34,915/-	₹10,000/- ₹55,100/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
03	2026_UAD_474204_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 34 के अन्तर्गत देवास नाका चौराहा पर स्थित रिक्त भूमि पर श्री सेवालाल गोर बंजारा समाज सामुदायिक भवन एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करना। (मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना) (चतुर्थ आमंत्रण)	120 दिवस ₹10,05,453/-	₹2,000/- ₹7,600/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
04	2026_UAD_474206_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 61 के अन्तर्गत खसरा क्रमांक 594, मोदी अस्पताल के सामने रिक्त शासकीय भूमि पर बहुमंजिला सांस्कृतिक भवन का निर्माण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹32,09,386/-	₹5,000/- ₹24,100/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
05	2026_UAD_474207_1	झोन क्र.10 वार्ड क्र. 43 के अन्तर्गत न्यू पलासिया में स्थित घोबीघाट का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹96,68,868/-	₹10,000/- ₹72,600/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
06	2026_UAD_474208_1	झोन क्र.12 वार्ड क्र. 61 के अन्तर्गत राधा कृष्ण मंदिर के पास रिक्त शासकीय भुमि खसरा न. 355/1 पर सांस्कृतिक भवन का निर्माण करना। (छटवा आमंत्रण)	180 दिवस ₹31,51,844/-	₹5,000/- ₹23,700/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
07	2026_UAD_474209_1	झोन क्र.17 वार्ड क्र.19 के अन्तर्गत नरवल में नाले किनारे विजय चौहान के घर के पास रिटेनिंग वॉल का निर्माण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,10,07,582/-	₹12,500/- ₹82,600/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
08	2026_UAD_474211_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र.13 के अन्तर्गत संगम नगर शासकीय स्कूल परिसर में नवीन भवन का निर्माण कार्य करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,16,62,000/-	₹12,500/- ₹58,400/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
09	2026_UAD_474212_1	झोन क्र. 21 वार्ड क्र. 79 के अन्तर्गत अहिरखेड़ी में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,24,12,236/-	₹12,500/- ₹62,100/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
10	2026_UAD_474213_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र.13 के अन्तर्गत स्कीम न. 51 में शासकीय स्कूल में नवीन बिल्डींग ब्लॉक का निर्माण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,22,63,255/-	₹12,500/- ₹61,400/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
11	2026_UAD_474215_1	शाला प्रकोष्ठ के अन्तर्गत झोन क्र.11 वार्ड क्र.55 में स्थित शासकीय संयोगितागंज बालक उ. मा. विद्यालय क्र. 01 के नवीन भवन का निर्माण करना। (चतुर्थ आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,79,80,584/-	₹12,500/- ₹90,000/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
12	2026_UAD_474447_1	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 68 के अन्तर्गत रविदास पुरा में आंगनवाड़ी का निर्माण करना। (तृतीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹11,22,000/-	₹2,000/- ₹8,500/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
13	2026_UAD_474448_1	न्याय नगर (एम.आर.10) में पानी की टंकी के पास फायर स्टेशन का निर्माण करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,24,12,799/-	₹12,500/- ₹62,100/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026
14	2026_UAD_474461_1	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अन्तर्गत आर्दष बिजासन नगर में प्राथमिक शाला के बाहर जाली लगाना व अन्य सिविल कार्य करना। (द्वितीय आमंत्रण)	60 दिवस ₹1,95,193/-	₹1,000/- ₹4,000/-	27-01-2026 6.00 PM 29-01-2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003
फोन : + 91 755 4027100, 2774340/42, www.mpstdc.com

Your host in the heart of India www.mpstdc.com

क्रमांक 019/यांत्रिकी/पविनि/26 | **दिनांक : 09.01.2026**

निविदा सूचना 079/ 2026_STDC_475594_1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम :-** स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंदौर में एप्रोच रोड, प्लेग्राउंड का निर्माण एवं अन्य उन्नयन कार्य। (07 माह)। कार्य की अनुमानित लागत राशि रु. 279.55 लाख।

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्युमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 02.02.2026 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 15.01.2026 देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/123956/2026 **कार्यपालन यंत्री**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
TATA
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।
उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHF0284000100298474 & TCHHL0284000100330689 & TCHIN0284000100330698	श्री प्रदीप चौधरी (ऋणी) श्रीमती संगीता चौधरी (सह-ऋणी)	Rs. 22,78,709/-& Rs.12,21,229/- & Rs. 74,443/-	02-01-2026 & 01-01-2026

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं.634/2 के भाग पर निर्मित मकान, ग्राम रंगवासा स्थित, पटवारी हल्का नं. 09 (न्यू 13), तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) भूमि के क्षेत्रफल 30फीट*38 फीट = 1140 वर्गफीट (105.94 वर्गमीटर) एवं ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित क्षेत्रफल 900 वर्गफीट (83.64 वर्गमीटर), **चर्तु:सीमा:-** पूर्वः दिलीप ठाकुर का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः नन्दकिशोर नरोलिया का प्लॉट, दक्षिणः मांगीलाल जोशी का प्लॉट

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा। **हस्ता./-**

दिनांक : 14.01.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इन्दौर **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)
नीमच शाखा: तल मंजिल, वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अम्बेडकर नगर, नीमच - 458441 (म.प्र.)
पीथमपुर शाखा: शॉप नंबर DUGF-46 एवं DUGF-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला-धार (मध्य प्रदेश)
खण्डवा शाखा: प्लॉट नंबर 1, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा - 450001 (मध्य प्रदेश)
धार शाखा: प्लॉट नंबर 70, प्रथम मंजिल त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड़, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02010000901/ उज्जैन शाखा) विनीत भाटिया (ऋणी) किरण भाटिया (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ मकान नं. सी-142, अभिलाषा कॉलोनी, देवास रोड, हामूखेड़ी, वार्ड नं.54, उज्जैन 456010 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - प्लॉट नं.132, उत्तर - प्लॉट नं.143, दक्षिण - प्लॉट नं.141।	09-10-2025 & ₹ 18,79,172/-	09-01-2026
2	(लोन कोड नं. 14400000130 / नीमच शाखा) मोईन मेव (ऋणी) कल्लू खान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 640/1 पैकि, सर्वे नं. 640/1 पैकि का भाग, इस्माइल गली, वार्ड नं. 02, मल्हारगढ़, मन्दसौर 458339 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व- जफर मंसूरी का मकान, पश्चिम- रोड, उत्तर- अजीम नबी एवं नबीनूर मंसूरी की भूमि, दक्षिण- रोड एवं ड्रेन	06-08-2025 & ₹ 4,92,955/-	09-01-2026
3	(लोन कोड नं. 14400000122 / नीमच शाखा) दिनेश कुमार (ऋणी) सोनी बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नंबर 221 धोबियों की घाटी पाटीदार मोहल्ला वार्ड नंबर 08 जीरन, नीमच 458441 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - लक्ष्मीनारायण जी की भूमि एवं सड़क, पश्चिम - गली, उत्तर - हीरालाल तेली का मकान, दक्षिण - रामप्रह्लाद सागवरिया का मकान	06-11-2024 & ₹ 3,03,832/-	09-01-2026
4	(लोन कोड नं. 05110000215/ पीथमपुर शाखा) स्व. भूपेन्द्र सिंह चौहान (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (ऋणी) अनिता चौहान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 374 तल मंजिल मनमानी कॉलोनी संजय जलाश्या रोड के पास वार्ड नंबर 8 सेक्टर 1 पीथमपुर धार 454775 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - महेश प्रजापत का मकान, पश्चिम - वर्मा जी का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - विक्रेता की शेष भूमि	09-10-2025 & ₹ 1,56,647/-	10-01-2026
5	(लोन कोड नं. 05100001930/ पीथमपुर शाखा) सुनील कुशवाहा (ऋणी) गोपाल कुशवाहा (सह-ऋणी) गोलू सिंह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं.587/2 पैकी का भाग, प.ह.नं.59, वार्ड नं.22, पुराना, नया 24, सागोर सेक्टर 3, तहसील, धार 454775 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - सार्वजनिक सड़क, पश्चिम - सार्वजनिक गली एवं घनश्याम पाटीदार का मकान, उत्तर - जगदीश का मकान, दक्षिण - मुन्नालाल का मकान	06-10-2025 & ₹ 8,06,105/-	10-01-2026
6	(लोन कोड नं. 05500000708/ खण्डवा शाखा) मेहमूद साहब (ऋणी) शमीम बानो (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग,सर्वे नं.421/2/3, गरीब नवाज नगर के नाम से ज्ञात, प्लॉट नं.3, ब्लॉक बी एस नं. 421/2/3, प.ह.नं.14, ग्राम एमागिर्द, बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़ 450331 (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - विक्रेता की भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - विक्रेता की भूमि	06-10-2025 & ₹ 5,34,970/-	10-01-2026
7	(लोन कोड नं. 06800000041/ धार शाखा) मालती चौहान (ऋणी) जितेन्द्र चौहान (सह-ऋणी) भंवरसिंह पंवार (जमातनदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय प्लॉट क्षेत्र ग्राम फुलगावड़ी पंचायत क्षेत्र फुलगावड़ी स्थित, तहसील सरदारपुर जिला धार 454001 (मध्य प्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - गोविंदपुरा जलाश्या की नहर, पश्चिम - सार्वजनिक सड़क, उत्तर - काशीराम-पार्थी पाटीदार का प्लॉट, दक्षिण - मालती पिता कन्हैयालाल का मकान	06-10-2025 & ₹ 8,24,672/-	12-01-2026

स्थान : मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 14.01.2026 **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
ROHA HOUSING FINANCE GROW WITH YOUR OWN HOME

कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301।

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ता को सूचना।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वगीकृत किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता/कों द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: HLUJNCSCRE000005012383 / शाखाः उज्जैन सर्विस 1. आशाराम परमार, 2. कृष्णा परमार, दोनों पता 1ः ग्राम गोंसा, तेह. घट्टिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006, भारत। पता 2 : मकान नं. 28 खसरा नंबर 335, कुल क्षेत्रफल = 990 वर्ग। FT. ग्राम गोंसा तहसील घाटिया जिला उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश-456006 भारत।	15-12-2025 और रू. 732510/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग जो निम्न प्रकार से स्थित है: (मकान संख्या 28, खसरा संख्या 335, कुल क्षेत्रफल =990 वर्ग फुट, ग्राम गोंसा, तहसील घाटिया, जिला उज्जैन, म.प्र.- 456006, भारत)
2	LAN: HLMDSRSCRE000005019715 / शाखाः मंदसौर, 1. बच्चू चमार, 2. मिथुन चमार, 3. प्रेमबाई पत्नि बच्चू चमार। दोनों पता1ः गांव- लोधाखेड़ा, पोस्ट - अदमलिया, तहसील - मल्हार गढ़, अदमलिया, मंदसौर, मंदसौर, मध्य प्रदेश-458553, भारत) पता 2ः (एसएन 475 प्लॉट नंबर 695 पीएच नं. 53, कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर, ग्राम लोधाखेड़ा तह. मल्हारगढ़ जिला. मंदसौर (म.प्र.) मंदसौर मध्य प्रदेश-458556 भारत)।	15-12-2025 और रु. 546157 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग, जिसका पता इस प्रकार है: (एस.एन. 475, प्लॉट संख्या 695, पीएच.एन. 53, कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर, ग्राम लोदाखेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458556, भारत)
3	LAN: HLMDSRSCRE000005005205 / शाखाः मंदसौर, 1. धर्मेन्द्र सिंह, 2. बने सिंह पुत्र भुवानी सिंह, 3. मेम कुँवर पत्नि बने सिंह, 4. विष्णु कुँवर पत्नि धर्मेन्द्र दोनों पता 1ः ग्राम गैगसी पोस्ट असावटी, मंदसौर, म.प्र.-458880, भारत) पता 2ः (संपत्ति मकान नं. 104 आबादी सर्वे नं. 380 वार्ड नं. 07 पीएचएन-19 ग्राम गागसाइट शील-शामगढ़ एवं जिला-मंदसौर (म.प्र.) 458880 मंदसौर म.प्र.- 458880 भारत) स.क्र. 1 पर - चार रुद्र प्रिया गांव पालपुरा बेरछा, मंदसौर, म.प्र.- 458880, भारत।	15-12-2025 और रु. 553419 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सासंपत्ति का पताः संपत्ति मकान संख्या 104, आबादी सर्वे संख्या 380, वार्ड संख्या 7, पीएच नं. 19, ग्रामगसी, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458880 भारत
4	LAN: LASONKLPRS000005016865 / शाखाः सोनकच्छ 1. ईश्वर हिंदू सिंह, 2. प्रकाश बाई ईश्वर सिंह, 3. सीता बाई हिंदू सिंह दोनों पता 1ः (मकान नंबर 08 ग्राम टांडा बंजारी, पोस्ट देंदला, तहसील। शाजापुर एवं जिला. शाजापुर म.प्र.-465110, भारत) पता 2ः (प्लॉट नं.- 50 पी.एच. नं.- 179 सर्वे नं.- 428 ग्राम टांडा बंजारी, तहसील शाजापुर म.प्र.-465113 भारत)	15-12-2025 और रू. 731574/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग, जो निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैः प्लॉट संख्या- 50, पीएच नं.- 179, सर्वे नंबर- 428, ग्राम टांडा, बंजारी तहसील, शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465113 भारत
5	LAN: HLSONKSCRE000005010919 / शाखाः सोनकच्छ 1. गोपाल सिंह, 2. मंजू पत्नि गोपाल सिंह, दोनों पता1ः (मुंडलाना, चौबाराजागीर, सोनकच्छ, देवास, म.प्र. 455118, भारत) पता 2ः (पीएच नं.67 सर्वे नं. 707 ग्राम मुंडला तह सोनकच्छ जिला देवास एमपी देवास मध्य प्रदेश-455118 भारत)।	15-12-2025 और रु. 554426/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग, जो निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैः संपत्ति का पताः पीएच नं. 67, सर्वे नंबर 707, ग्राम मुंडला, साँस कच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, देवास, मध्य प्रदेश- 455118, भारत।
6	LAN: HLMDSRHLRI000005018121/ शाखाः मंदसौर, 1. पर्वत बंजारा, 2. लालू बंजारा, 3. राधा बाई पत्नि पर्वत बंजारा दोनों पता 1ः गाँव लोधाखेड़ा पोस्ट अदमलिया, तहसील मल्हारगढ़ अदमलिया, तहसील मल्हारगढ़ जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश-458553, भारत। पता 2ः एसएन 477 प्लॉट नंबर 564, एरिया एडीएम। 1984 वर्ग फीट। ग्राम लोडाखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश-458553 भारत।	15-12-2025 और रू. 860811/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग और अंश, जिसका पता इस प्रकार हैः संपत्ति संख्या 477, प्लॉट संख्या 564, क्षेत्रफल 1984 वर्ग फुट, ग्राम लोदाखेड़ा, तहसील, मलहरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458553, भारत।
7	LAN: HLSONKMBPR000005015568/ शाखाः सोनकच्छ 1. रामासिंह पुत्र जगदेव सिंह, 2. बबीता बाई राठौड़ दोनों पता 1ः मकान एन 88 वार्ड एन 05, पोस्ट कनकखजुरिया, देवास, मध्य प्रदेश-455118, भारत, 2 पता : पीएचएन. 28 भूमि क्रमांक 319 ग्राम कंका खजुरिया तहसील सोनकच्छ देवास मध्य प्रदेश- 455118 भारत।	15-12-2025 और रु. 575605/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग, जो निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैः संपत्ति का पताः पीएच नं. 28, भूमि संख्या 319, ग्राम कंका, खजूरिया तहसील, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश- 455118, भारत।
8	LAN: LAUJNCLPRS000005007608/ शाखाः उज्जैन सर्विस 1. रामलाल पुत्र गंगाराम, 2. सुनीता पत्नि रामलाल दोनों पता1ः ग्राम बेदावन, वार्ड नंबर 3, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456221, भारत। 2 पता : पीएचएन. 51 भूमि का भाग क्र.सं. 212/2 ग्राम एवं ग्राम पंचायत बेदावन तहसील नागदा डिस्टुजैन मध्य प्रदेश-456221 भारत।	15-12-2025 और रू. 702114/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग, जो निम्नलिखित प्रकार से हैः संपत्ति का पताः PHN. 51, भूमि का भाग, क्रमांक 212/2 ग्राम एवं ग्राम पंचायत बेदावां तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश- 456221 भारत
9	LAN: HLUJNCSCRE000005009755 / शाखाः उज्जैन सर्विस 1. सोहन सोलंकी, 2. संगीता सोलंकी दोनों पता1ः 154 भैसला खुर्द, इंगोरिया, उज्जैन, म.प्र.- 456222, भारत) पता 2ः संपत्ति स्थित प्लॉट नंबर 154 पीएच नंबर 50 सर्वे नंबर। 81 ग्राम भैंसला खुर्द-बदनगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश-456222 भारत।	15-12-2025 और रू. 830698/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता इस प्रकार हैः संपत्ति प्लॉट संख्या 154, मकान संख्या 50, सर्वेक्षण संख्या 81, ग्राम भैंसला, खुर्द, बदनगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456222, भारत।
10	LAN: HLMDSRSCRE000005008584 / शाखाः मंदसौर 1. विकास पाटीदार, 2. चंदा बाई पत्नि लक्ष्मीनारायण, दोनों पता 1ः वार्ड नं. 07 ग्राम रिछा लालमुहा तह सलौदा रिछा लालमुहा मंदसौर, मंदसौर, म.प्र.-458669, भारत) पता 2ः संपत्ति मकान नं. 209 आबादी सर्वेक्षण संख्या 1231 वार्ड संख्या 07 पर स्थित ग्राम रिछा लालमुहा प.ह.नं.33 तेह. दलौदा जिला. मंदसौर (म.प्र.) मंदसौर मध्य प्रदेश-458669 भारत) क्रम क्र.1 - ग्राम रिछा लालमुहा तह. दलुआडा मंदसौर, मंदसौर, म.प्र.-458669, भारत	15-12-2025 और रु. 869338/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता इस प्रकार हैः (संपत्ति मकान संख्या 209, पताः आबादी, सर्वे संख्या 1231, वार्ड संख्या 07, ग्राम रिछलालमुहान, पी.एच. संख्या 33, तहसील दलूदा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458669, भारत)
11	LAN: LASHUJLPRS000005011147/ शाखाः शुजालपुर 1. विक्रम सिंह, 2. कोशलिया बाई पत्नि विक्रम सिंह दोनों पता 1ः ग्राम नंदनी, पोस्ट नंदनी जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465337, भारत। पता 2ः संपत्ति सर्वेक्षण क्रमांक पर स्थित है। 571/1/4/1/1/1 पी.एच. नं. 25 गांव नंदनी तेह. कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.-465337 भारत	15-12-2025 और रू. 850460/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा संपत्ति का पताः संपत्ति सर्वे संख्याः 571/1/4/1/1/1 पी.एच. संख्या 25, ग्राम नंदनी, तहसील कालापीपाल, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465337, भारत में स्थित है।
12	LAN: HLUJNCSCRE000005015627 / शाखाः उज्जैन सर्विस 1. विनोद पुत्र बलवंत सिंह, 2. निर्मला बाई पत्नि विनोद दोनों पता 1ः ग्राम किलोदिया, तेह नागदा, नागदा, मध्य प्रदेश-456335, भारत) पता 2 : प्लॉट नं. 59 पी.एच.एन.ओ. 14 ग्राम किलोदिया तहसील। नागदादी। उज्जैन (म.प्र.) तह. नागदा, उज्जैन, म.प्र.-456224 भारत)	15-12-2025 और रू. 664774/- 15.12.2025 तक	संपत्ति का वह भाग जो निम्न प्रकार से प्रदर्शित होता हैः (प्लॉट संख्या 59, मकान संख्या 14, ग्राम किलोदिया, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश), तहसील नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456224, भारत)

दिनांक - 14.01.2026, स्थान - इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**